फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 70/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/75) **श्री केसरसिंह राजपूत व अन्य बनाम प्रभारी, प्रा.स्वा. केन्द्र, साबला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.04.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री राजेश शर्मा - वकील अपीलार्थी 1. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 **अनवान** 1. **श्री केसरसिंह पिता श्री दलपतसिंह राजपुत, निवासी रिछा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर।** 2. **श्रीमती पुष्पा कुंवर पत्नि श्री गोविन्दसिंह राजपुत, निवासी रिछा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिछा, तहसील साबला, जिला डूंगरपुर।** 2. **भूमिधारी जरिये तहसीलदार, साबला, जिला डूंगरपुर।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, डूंगरपुर के भूमि आंवटित किये जाने के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आवं./2021/775-781 दिनांक 26.07.2021** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 21.04.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, डूंगरपुर के भूमि आंवटित किये जाने के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आवं./2021/775-781 दिनांक 26.07.2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार साबला द्वारा सामुदायिक केन्द्र रिंछा के भवन निर्माण के लिए राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963/1955 के तहत 99 वर्ष की कालावधि के लिए पट्टाघृती के आधार पर निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव मय अभिशंषा जिला कलक्टर, डूंगरपुर को प्रेषित की। जिस पर जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा ग्राम लेम्बाता के आराजी नम्बर 1870 रकबा 97.04 बीघा किस्म बिलानाम मगरी में से 4.00 बीघा भूमि प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिंछा को भवन निर्माण हेतु उक्त अधिनियम के तहत आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आवं./2021/775-781 दिनांक 26.07.2021 को आवंटित की। उक्त आदेश दिनांक 26.07.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील दिनांक 02.08.2022 को मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम (आदेश 41 नियम 3 सीपीसी) के प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 12.04.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी, राजकीय पेरोकार उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि उक्त आवंटन आवंटी को आवंटन नियमों के विपरित बगैर किसी कोरम के बगैर किसी प्राक्लेमेशन तथा बगैर किसी कब्जा को सुपुर्द किये किया गया है। आवंटित भूमि पर अपीलार्थी एवं उसके पूर्वजों का कब्जा करीब 50-60 वर्षों से चला आ रहा है फिर भी रेस्पोडेंट ने पटवारी हल्का और सरपंच से मिलकर उक्त आराजी का गलत रूप से आवंटन करवा लिया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 70/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/75) **श्री केसरसिंह राजपूत व अन्य बनाम प्रभारी, प्रा.स्वा. केन्द्र, साबला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटन किये जाने हेतू ऑक्यूपाईड व अन ऑक्युपाईड भूमि की लिस्ट तैयार नहीं की गई। कथित आवंटन से पूर्व किसी प्रकार का प्राक्लोमेशन जारी नहीं किया गया था मात्र ग्राम पंचायत के सरपंच के बनाये गये मौका रिपोर्ट ही उक्त भूमि उदघोषणा में है, जबकि इसकी सूचना कही प्रसारित नहीं की गई। कथित आवंटन रेस्पोडेंट ग्राम रिंछा के लिए आवंटन किया गया जबकि कथित आवंटन भूमि ग्राम लेम्बाता में स्थित है जो कि रेस्पोडेंट के गांव से 3 किमी की दुरी पर स्थित है इसलिए भी रेस्पोडेंट के हक में उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि यदि आवंटन निरस्त नहीं किया गया तो रेस्पोडेंट अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा कर लेगा। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को खाली बताया जबकि मौके पर 110 पेड़ व मौके पर 400 फिट की दिवार बनी हैं, अपीलार्थी ने निर्माण कर रखा है। विद्युत मीटर 12 वर्षो से लगा हुआ है। अपीलान्ट का विगत 50-60 वर्षों से कब्जा है जिससे से वर्ष 1990 से लेकर अब तक राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के नोटिस जारी किये गए है और अपीलार्थी शास्तियां चुकाता आ रहा है। ग्राम पंचायत की मौका रिपोर्ट पर सिर्फ सरपंच के हस्ताक्षर है, अन्य कौन है, इसकी विगत का उल्लेख नहीं है। उक्त भूमि को विवाद रहित बताया है, जबकि उक्त भूमि दो गावों की भूमि है। उपरोक्त जमीन ग्राम लेम्बाता में स्थित है तो गांव रिंछा का प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र लेम्बाता में कैसे हो सकता है। ग्राम पंचायत लेम्बाता के द्वारा कोई प्रस्ताव कोरम में नहीं लिया गया, न ही सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को रेस्पोडेंट की ओर से आये सहकर्मचारी के 02.02.2022 को कब्जा हटा लेने की धमकी से प्राप्त हुई और जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 3 सीपीसी के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर उसके पक्ष में आवंटन किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी तहसीलदार, साबला की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय पेरोकार ने अपने बहस एवं लिखित प्रतिक्रिया में प्रस्तुत किया कि उक्त आवंटन हेतु चिकित्सा विभाग की मांग पर ग्राम पंचायत लेम्बाता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवंटन जिला कलक्टर द्वारा प्रचलित नियम-1963 के तहत किया गया है। उक्त आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि बिलानाम मगरी में भवन निर्माण हेतु आवंटन की गई, जिसमें भूमि उपयोगी होना व अनुपयोगी होने की सूची तैयार करना आवश्यक नहीं है। उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिंछा के नाम ग्राम लेम्बाता के आराजी नम्बर 1870 में आवंटन हुआ जो ग्राम रिंछा से 1.5 किमी की दुरी पर स्थित है। आवंटन ग्रामीणजन के हितार्थ राजकीय संस्था को किया गया है। मौके पर आवंटी को कब्जा दिनांक 03.09.2021 को सूपुर्द कर दिया गया है, मौके पर पीएचसी रिंछा के भवन निर्माण का कार्य जारी है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, ऐसे में उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का प्रस्तुत कर न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त की जानी थी जो एक आज्ञापक प्रावधान है। ऐसे में आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना नहीं होने से अपील इसी बिन्दु पर निरस्त योग्य है।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आवं./2021/775-781 दिनांक 26.07.2021 के विरूद्ध न्यायालय हाजा समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। इस प्रकरण में हम सर्वप्रथम इस अपील के एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार किया जाना उचित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 70/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/75) **श्री केसरसिंह राजपूत व अन्य बनाम प्रभारी, प्रा.स्वा. केन्द्र, साबला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समझते है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत अपील मेमों के सिर्फ धारा-96 सम्बन्ध में कथन प्रस्तुत किये है, परन्तु अपील मेमों के साथ धारा-96 जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन पेश नहीं किया है। जो व्यक्ति किसी आदेश या डिक्री में पक्षकार नहीं है, वह अपील में बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये पक्षकार नहीं बन सकते है। ऐसी कमी के साथ प्रस्तुत अपील अयोग्य है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं कर धारा-96 सीपीसी के तहत कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं की जिससे प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया धारा-96 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से ही खारिज योग्य है।

इसके अतिरिक्त अपील मयाद बाधित भी है, जिस हेतु प्रस्तुत कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं होने से इस बिन्दु पर भी अपील खारिज योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में हम न्यायहित में गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सर्वसम्मति उपरान्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आवं./2021/775-781 दिनांक 26.07.2021 से आंवटित की गयी। इस न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का विधि की रोशनी में सम्यक परीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किए गए है, जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता हो कि आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का पिछले 50-60 वर्षो से निरन्तर कब्जाकाश्त उपलब्ध हो। बिना नियमित कब्जे के अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया आलोच्य प्रार्थना पत्र बलहीन होना प्रकट होता है। अपीलार्थी ने आलोच्य आवंटन को मात्र कब्जे के बिन्दु के आधार पर निरस्त कराने की प्रार्थना की है। जबकि अविधिक आवंटन जैसे कि तथ्यों को छिपाना, भूमिहीन का तथ्य व धोखे से आवंटन करवाये जाने बाबत तथ्यों का समावेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) में नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी पर पिछले 50-60 वर्षो से निरन्तर कब्जे के तौर पर किसी प्रकार की साक्ष्य अपीलार्थी ने पेश नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा सिर्फ कुछ वर्षों के कब्जे के संबंध में जारी नोटिस धारा-91 की प्रतियां पेश की। आर.आर. टी-2009(1) पेज-220, आर.आर.टी.-2009(2) पेज-1299 में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि "land in possession of Tresspasser can not be treated as occupied land" और हमारा विनम्र मत है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के बावजुद उक्त भूमि को अनाधिवासित भूमि माना जाना चाहिए और हमारे इस मत की पुष्टि उक्त न्यायिक दृष्टांत करते है। हम यहां अंकित करना चाहते है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो यह प्रकट करता है कि आवंटित आराजी कभी उनके या उनके परिवार के अन्य सदस्य के नाम रही हो और न ही राजस्व अभिलेख से यह प्रकट होता है। उपरोक्त तथ्य अपीलार्थी की राजकीय भूमि पर अवैध कब्जे की मशां का प्रकट करता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5(44) के अनुसार महज एक अतिक्रमी की है, जिससे कोई वैधानिक अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होते है। आर.बी. जे. 2017 पेज 167 में प्रकट किये गये अभिमत "Illegal possession on Govt.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 70/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/75) **श्री केसरसिंह राजपूत व अन्य बनाम प्रभारी, प्रा.स्वा. केन्द्र, साबला व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	Agricultural Land is no possession in the eye by Law" से भी हम पूर्णतया सहमत है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ना ही आवंटन उपरान्त आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत किये बिना न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने का आवेदन किये बिना जो यह अपील प्रस्तुत की है, यह विधि सम्मत् नहीं होने से, मयाद बाधित होने एवं गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर का अपीलाधीन आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। (अंजलि राजोरिया, I.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	